CORPORATE OFFICE
Delhi Office
706 Ground Floor Dr. Mukherjee Nagar Near Batra Cinema Delhi – 110009
Noida Office
Basement C-32 Noida Sector-2 Uttar Pradesh 201301

CURRENT AFFAIRS

Yojna IAS
yojnaias.com
योजना है तो सफलता है

website : www.yojnaias.com
Contact No. : +91 8595390705

Date : 1 मई 2023

द केरला स्टोरी : मानव तस्करी की कहानी

संदर्भ- हाल ही में सुदीप्तो सेन द्वारा निर्देशित और विपुल लाल द्वारा निर्मित फिल्म द केरला स्टोरी का एक ट्रेलर रीलिज किया गया है जिसमें केरल की नॉन इस्लामिक महिलाएं, इस्लाम धारण कर आइएसआइएस में शामिल हो रही हैं। फिल्म के निर्माता व निर्देशक द्वारा इसे सत्य घटनाओं पर आधारित बताया जा रहा है जिसमें मानव तस्करी के मुद्दे को उजागर किया गया है। किंतु फिल्म द्वारा सांप्रदायिक द्वेष बढ़ने की संभावनाओं को देखते हुए इसका केरल में इसका विरोध भी किया जा रहा है।

मानव तस्करी-

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार मानव को बल अथवा धोखाधड़ी से भर्ती, परिवहन, स्थानांतरण किया जाता है, जिसका उद्देश्य मानव शोषण अथवा किछ अन्य लाभ है सकता है। हर उम्र और हर पृष्ठभूमि के पुरुष, महिलाएं और बच्चे इस अपराध के शिकार हो सकते हैं, जो दुनिया के हर क्षेत्र में होता है। मानव तस्कर पीड़ितों को नियंत्रित करने के लिए निम्न साधनो का प्रयोग कर सकते हैं-

- हिंसा
- शिक्षा और नौकरियों की झूठी रोजगार एजेंसियां,
- शारीरिक और यौन शोषण, ब्लैकमेल,
- भावनात्मक हेरफेर कर धर्मांतरण और विवाह
- आधिकारिक दस्तावेजों को हटाने का उपयोग करते हैं।

संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के अनुसार ड्रग्स और यौन अपराध के माध्यम से दक्षिण एशिया में हर साल 150,000 से अधिक लोगों की तस्करी की जाती है – तस्करी पीड़ितों में महिलाएं और लड़कियां क्रमशः 44% और 21% हैं। जबरन श्रम, यौन शोषण और जबरन विवाह को क्षेत्र में तस्करी के सबसे आम रूपों के रूप में दर्ज किया गया है। द केरला स्टोरी में भावनात्मक हेरफेर और धर्मांतरण के माध्यम से नॉन इस्लामिक महिलाओं को भारत के केरल राज्य से इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया में भेज दिया जाता है।

The Kerala Story is an attempt to spread hate propaganda: CM

The Hindu Bureau
THIRUVANANTHAPURAM

Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan on Sunday said the upcoming movie *The Kerala Story* was a product of the Sangh Parivar's "factory of lies".

He said legal action would be taken against those involving themselves in anti-social activities.

"A glance at the trailer gives the impression that the movie was deliberately produced with the aim of communal polarisation and spreading hate propaganda against Kerala. By placing Kerala, the land of secularism, as the centre of religious extremism, it is repeating the Sangh Parivar's propaganda. Propaganda films and the othering of Muslims should be viewed in the context of various efforts made by the Sangh Parivar to gain an advantage in electoral politics in Kerala," Mr. Vijayan said in a Facebook post.

A still from the movie.

The statement comes at a time when the ruling Left Democratic Front (LDF), the Opposition United Democratic Front (UDF) and their youth organisations have all opposed the movie in a united voice.

Mr. Vijayan said the allegations of 'love *jihad*' were dismissed by the central investigating agencies, courts and even the Union Home Ministry. G. Kishan Reddy, then Union Minister of State for Home Affairs, had said in Parliament that there was no such thing as 'love *jihad*'.

"Yet in the film, this false allegation is made the main premise of the story only because of the eagerness to humiliate Kerala in front of the world," he said.

CONTINUED ON » PAGE 10

भारत में मानव तस्करी

भारत को मानव तस्करी का गढ़ माना जाता रहा है। भारत एशिया में मानव तस्करी के लिए स्रोत, पारगमन व गंतव्य का क्षेत्र रहा है। भारत में नेपाल व बांग्लादेश से मानव की तस्करी होती है और भारत से पश्चिमी एशिया, अमेरिका व यूरोपीय देशों में अवैध रूप से मानव तस्करी होती रही है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2017 में मानव तस्करी से संबंधित तथ्य

- 2016 में भारत में मानव तस्करी से संबंधित 8000 केस दर्ज किए गए, जिसमें से 23000 पीड़ितों को मुत कराया गया, इसमें 182 विदेशी भी शामिल थे।
- मानव तस्करी के सर्वाधिक केस पश्चिम बंगाल में दर्ज किए गए। इसके बाद राजस्थान दूसरे स्थान पर रहा।
- 2015 के रिकॉर्ड के अनुसार सर्वाधिक केस असम में दर्ज किए गए थे, इसके 2016 के आंकड़ों में भारी कमी देखी गई।
- 2015 के आंकड़ों के अनुसार कुल पीड़ितों में से 58% पीड़ित, 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियां थी।

मानव तस्करी रिपोर्ट 2021 : भारत

- क्राइम इन इंडिया 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में मानव तस्करी 2017 में 2854, 2018 में 1830 और 2019 में 2028 केस दर्ज किए गए थे।
- वर्ष 2019 में सरकार तस्करी के 600 केस में अभियोजन करवाया, 160 मामलों में 306 तस्करों को दोषी ठहराया गया। और 440 मामलों में 1329 संदिग्ध तस्करों को बरी कर दिया गया। मानव तस्करी के मामलों में बरी होने की प्रतिशतता 73% है।
- 2019 में बीएलएसए के तहत बंधुआ मजदूरों के 1155 मामलों के आंकड़े प्राप्त हुए।
- रिपोर्ट के अनुसार भारत में मानव तस्करी को रोकने के लिए कई प्रयास किए गए।

मानव तस्करी निषेध संबंधी प्रयास

महिल हेल्प डैस्क- भारत सरकार ने समस्त देश में महिलाओं की सहायता करने के लिए 10000 महिला हैल्प डैस्क स्थापित करने व महिलाओं को तस्करी से सुरक्षा प्रदान करने के लिए धन आबंटित किया है।

वन स्टॉप सेंटर– मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भारत मे महिलाओं की तस्करी को रोकने के लिए वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए गए हैं। 2020 तक भारत में लगभग 700 ओसीसी सेंटर कार्य कर रहे थे।

संवैधानिक प्रावधान-

भारतीय दण्ड संहिता 370- इन अपराधों जैसे शोषण, यौन शोषण, दासता या दासता संबंधी किसी भी अपराध को दण्डनीय अपराधों की श्रेणी में रखा गया है, जिसमें मानव तस्करी भी शामिल है। इन अपराधों हेतु दण्ड-

- भारतीय दण्ड संहिता 370 के तहत आए वयस्क संबंधीअपराधों में 10 वर्ष का कारावास

- मानव तस्करी संबंधित बाल अपराध जैसे बाल श्रम, यौन अपराध में 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक का दण्ड दिया जा सकता है। किंतु इसमें बाल श्रम या यौन अपराध, धोखाधड़ी आदि जबरन किया गया है ऐसा सिद्ध करना अनिवार्य है।

मानव तस्करी (निवारण, संरक्षण व पुनर्वास) बिल 2018 के तहत तस्करी के शिकार लोगों के बचाव व पुनर्वास का प्रबंधन करना था। इसके तहत-

- यह राज्य , जिला व राष्ट्र स्तरीय जांच का प्रावधान करता है।
- पीड़ितों को बचाने व छुड़ाने के लिए एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी।
- बिल कुछ उद्देश्यों के लिए की गई तस्करी को तस्करी के 'गंभीर' (एग्रेवेटेड) प्रकार मानता है। इनमें बलात श्रम करवाने, बच्चे पैदा करने, भीख मंगवाने के लिए तस्करी करना शामिल है। और गंभीर प्रकार की तस्करी के लिए दण्ड की कठोरता को बढ़ाया जाएगा।

पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ में न्यायालय के अनुसार बालश्रम को निषेध किया है और बाल श्रम की परिभाषा और अनुच्छेद 23 को विस्तृत करते हुए कहा है कि प्रत्येक वह श्रम जो बिना किसी पारिश्रमिक के करवाया जाता है और जिससे मानव गरिमा की हानि होती है, बाल श्रम है। अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी को प्रतिबंधित किया गया है।

अनैतिक व्यापार संशोधन विधेयक 2005- इस विधेयक में वैश्यावृत्ति में संलग्न महिलाओं को सुरक्षा दी गई है। किसी भी 18 वर्ष से कम आयु की बच्ची को इस व्यापार से संलग्न करना अवैध है। इसके साथ ही पुलिस द्वारा मुक्ति युक्त कारण के बिना उसका स्थानांतरण करवाना भी अवैध है।

चुनौतियाँ

- विवाह और नौकरी से संबंधित धोखाधड़ी में पीड़ित को मानव तस्करी के जाल में फंसने का लंबे समय तक अहसास नहीं होता। इस प्रकार की धोखाधड़ी से पीड़ित को बचाना मुश्किल हो सकता है।
- मानव तस्करी के लिए धर्म व रीति रिवाजों का सहारा लिया जाता है जिससे सामाजिक कुरीतियों को बढ़ावा मिलता है। सामाजिक परिवर्तन अदृश्य व धीमी प्रणाली है, समय पर अंकुश न लगाने पर कुरीतियों को दूर करना कठिन हो सकता है।
- महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है, सुरक्षा के अभाव में ही इस प्रकार की तस्करी को बल मिलता है।
- भारत में बढ़ती जनसंख्या व रोजगार में कमी के कारण भी मानव तस्करी में संलग्न झूठी रोजगार एजेंसियों को बढ़ावा मिल रहा है।

आगे की राह

- महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें अपराध से संबंधित सभी प्रकार की संभावनाओं से अवगत कराया जा सकता है जिससे धोखाधड़ी में फंसने से पूर्व ही वह जांच परख कर कार्य कर सके।
- प्रत्येक जिले में रोजगार के नए साधनों की स्थापना के प्रयास किए जा सकते हैं।

- गुमशुदगी के केस की त्वरित जांच किए जाने प्रबंध किए जा सकते हैं, ताकि अपराध से पूर्व ही स्थिति को नियंत्रित किया जा सके।
- विभिन्न राज्यों में मानव तस्करी कार्यबल की स्थापना की जा सकती है।

स्रोत

https://epaper.thehindu.com/reader
WORLD BANK
hi.prsindia.org

Gunjan Joshi

भारत में श्रमिक अधिकार

संदर्भ- आज दिनांक 1 मई 2023 को सम्पूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय़ मजदूर दिवस मनाया गया और विश्व भर में मजदूरों के योगदान के लिए मजदूरों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। द हिंदू में प्रकाशित लेख मजदूरों के अधिकारों व उनकी वर्तमान स्थिति को निर्देशित करती है।

अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस

- किसी भी कार्य को करने के लिए सर्वाधिक आवस्यकता मानव श्रम व बल की होती है। और सबस महत्वपूर्ण पक्ष को समाज में उचित महत्व होना चाहिए किंतु एक सदी पूर्व समस्त विश्व में मजदूरों की हालत एक दास की तरह हो गई थी।
- अमेरिका की मजदूर यूनियनों ने सर्वप्रथम 1886 में मजदूरों के काम के घण्टों को 8 घण्टे तक सीमित करने के लिए सर्वप्रथम मांग व हड़ताल की। इस हड़ताल के समय शिकागों की सड़कों में बम धमाके किए गए जिससे कई मजदूरों की जान चली गई। इस घटना को हे मार्केट घटना भी कहा जाता है।
- 1889 में पेरिस में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय महासभा में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा गया।
- भारत, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के साथ 1 मई 1923 से जुड़ा।

भारत-

- भारत में सर्वप्रथम यह दिवस किसान श्रमिक संगठन के प्रमुख सिंगारवेलु चेट्टियार के निर्देशन में 1 मई 1923 को मद्रास में मनाया गया।
- इसमें लाल झण्डे का प्रयोग किया गया। जो वामपंथी राजनीति व ट्रेड यूनियन का प्रतीक था।
- इसके साथ एक अन्य प्रस्ताव पारित किया गया जिसके तहत ब्रिटिश सरकार भारत में 1 मई को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करे।

भारत में मजदूरों के लिए संवैधानिक प्रावधान

- **समता का अधिकार-** अनुच्छेद 14 समता से संबंधित है जिसमें सभी के लिए अर्थात देश के सभी नागरिकों या किसी विदेशी के लिए समान व्यवहार की बात की गई है। अर्थात श्रम की दृष्टि से सभी को समान व्यवहार प्राप्त करने का अधिकार है |
- **संगठन बनाने का अधिकार-** अनुच्छेद 19 के तहत देश के नागरिकों को संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार है।
- **प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार-** संविधान का अनुच्छेद 21 दैहिक स्वतंत्रता अर्थात जीवित रहने का अधइकार ऱखता है।
- **बाल श्रम निषेध-** अनुच्छेद 23 के अनुसार भारत में बाल श्रम निषेध है।
- **जोखिम युक्त कार्य पर निषेध-** संविधान के अनुच्छेद 24, बाल श्रम पर प्रति बंध लगाने के साथ 14 वर्ष की आयु से कम उम्र के बच्चों को जोखिम युक्त कार्य में संलग्न करने से रोकता है।
- **समान आजीविका-** अनुच्छेद 39(क) में नागरिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने का प्रावधान किया गया है।
- **प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी-** अनुच्छेद 43(क) के अनुसार उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की उचित भागीदारी को सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

कानूनी प्रावधान-

कारखाना अधिनियम 1948 की विशेषताएं निम्न हैं-

- इसके तहत श्रमिक से प्रति सप्ताह, 48 घण्टे से अधिक कार्य नहीं लिया जाना चाहिए और सप्ताह में एक दिन की छुट्टी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- स्वास्थ्य की आवश्यक स्थितियों जैसे प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था, पीने योग्य पानी, शौचालय और स्वच्छता का प्रबंध होना चाहिए।
- जोखिम युक्त मशीनरी में कार्य से पूर्व श्रमिक को उसका प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

कारखाना अधिनियम 1952 के तहत कार्य के घण्टे 10 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए। कार्य करने का समय आधिक होने पर ओवरचाइम का प्रावधान किया जाना चाहिए।
अधिनियम के अतिरिक्त श्रम संहिता का प्रावधान रखा गया है-

सामाजिक सुरक्षा संहिता-

- कोविड 19 में श्रमिकोंकी गंभीर स्थिति के कारण इस संहिता की अत्यधिक आवश्यकता महसूस की गई।
- इसके तहत संगठित व असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
- इसके साथ आपदा या मुआवजे से संबंधित प्रावधान किए गए हैं।
- सामाजिक सुरक्षा के प्रावधानों को कृषि श्रमिकों के लिए भई अनिवार्य बनाया गया है।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, कार्यदशाएं, संहिता 2020 के श्रमिकों से संबंधित अधिनियमों को सुरक्षा प्रदान की गई है तथा उसके क्षेत्र में विस्तार किया गया है।

- अंतर्राष्ट्रीय़ प्रवासी कामगार की स्थिति को सुरक्षित किया गया। जिसके तहत उसके कार्य़ के घण्टों को उसकी सहमति के बिना नहीं बढ़ाया जा सकता।

- कामगारों के भविष्य को उद्योग में सुरक्षित रखने के लिए नियुक्ति पत्र आबंटित करना अनिवार्य बना दिया गया।
- यह लैंगिक समानता को बल देता है, जिसमें महिलाओं को शाम 7 बजे के बाध भी संस्थान में कार्य करने का अधिकार दिया गया है।
- इसके साथ यह संहिता ट्रांसजेंडर सहित पुरुष व महिला के लिए अलग अलग शौचालय व लॉकर रूम का प्रावधान करता है।

औद्योगिक संबंध संहिता

- विधेयक के अनुसार औद्योगिक संस्थान में कार्य कर रहे श्रमिकों को हड़ताल करने से पूर्व कम से कम 14 दिन पहले निर्देशित करना होगा।
- श्रमिकों की शिकायतों के निवारण हेतु उद्योग शिकायत निवारण समिति होनी चाहिए।

चुनौतियाँ

- वर्तमान तकनीकि के बढ़ने के साथ लचीले कार्य समय की मांग की जा रही है। जो काम के घण्टों को बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। जो पुनः आधुनिक जीवन शैली को 19वी शताब्दी के अनियोजित कार्य के घण्टों और जीवनशैली को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।

स्रोत

The Hindu

Vvgnli.gov.in

Gunjan Joshi

Yojna IAS
योजना है तो सफलता है
yojnaias.com